उत्तराखण्ड शासन
वित्त (पेंशन) अनुभाग–10
संख्या– 396975 / **XXVII**–10 / 2026–ई–22807 / 2022
देहरादून, दिनांक 18 मई, 2026

कार्यालय–ज्ञाप

विषय– मंहगाई भत्ते की दरों में संशोधन (01.01.2026 से प्रभावी)

शासनादेश संख्या– 338069 / XXVII–10 / 2025–ई–22807 / 2022, दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 द्वारा राज्य कर्मचारियों आदि, जिन्हें 7वां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांक 01 जुलाई, 2025 से 58 % की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

2. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1 / 1(I) / 2026–ई–II(बी), दिनांक 22 अप्रैल, 2026 (जिसके द्वारा महंगाई भत्ते की दर को 58 % से बढ़ाकर 60 % प्रतिमाह किया गया है) के क्रम में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें 7वां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ता अनुमन्य कराए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

मंहगाई भत्ते की संशोधित / पुनरीक्षित मासिक दर	अभ्युक्ति
1	2
60% (01.01.2026 से देय)	*(क). पुनरीक्षित "महंगाई भत्ते की दर" से मासिक वेतन का भुगतान माह मई, 2026 के वेतन से किया जायेगा।* *(ख). 01.01.2026 से 30.04.2026 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद रूप में मई, 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा।* *(ग). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिकों के संदर्भ में, उपरोक्तानुसार देय महंगाई भत्ता की एरियर राशि में से 10% की कार्मिक अंशदान की कटौती कर, उस पर नियमानुसार नियोक्ता अंशदान अनुमन्य होगा। यह राशि संबंधित के प्रॉन में जमा की जाएगी।*

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक् से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4. उपरोक्त शर्तों एवं पूर्व निर्गत शासनादेशों में वर्णित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार

स्वीकृत महंगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत "अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों" को भी अनुमन्य होगा।

Digitally signed by
Vadivel Shanmugam
Date: 18-05-2026
17:29:29

(डॉ0 वी0 षणमुगम)
सचिव

संख्या– 396975 / XXVII–10/2026–ई–22807/2022, तद्दिनांकित–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून
2. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून
3. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन
4. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल
7. समस्त प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तराखण्ड शासन
8. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून
9. सचिव, शहरी विकास/औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
11. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी
12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली
14. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड
15. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून
16. निदेशक, शहरी विकास/पंचायती राज/प्राविधिक शिक्षा/विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड
17. बजट अधिकारी, बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून
18. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड
19. वरिष्ठ वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड
20. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून
21. गार्ड फाईल

आज्ञा से
Digitally signed by
Khajan Chandra Pandey
Date: 18-05-2026
17:46:02

(खजान चन्द्र पाण्डे)
अपर सचिव